केन्द्रीय वक़्फ* परिषद् नियम, 1998[1]

वक़्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 12 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) ये नियम केन्द्रीय वक़्फ परिषद् नियम, 1998 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभाव में आयेंगे।

2. परिभाषायें—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "*अधिनियम*" से वक़्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) अभिप्रेत है;

(ख) "*अध्यक्ष*" से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "*परिषद्*" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन स्थापित केन्द्रीय वक़्फ परिषद् अभिप्रेत है;

[2][(गक) "*कर्मचारी*" से परिषद् का कर्मचारी अभिप्रेत है;]

(घ) "*निधि*" से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन बनाई गई केन्द्रीय वक़्फ निधि अभिप्रेत है;

(ङ) "*सदस्य*" से परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है;

(च) "*सचिव*" से परिषद् का सचिव अभिप्रेत है।

3. सदस्यों का रजिस्टर—(1) परिषद् सदस्यों के नाम, व्यवसाय तथा पते का वर्णन करने वाला एक नामावली व्यवस्थित करेगी जिस पर प्रत्येक सदस्य हस्ताक्षर करेंगे।

(2) परिषद् के सदस्य अपने पते के परिवर्तन के बारे में, यदि को हो, परिषद के सचिव को सूचित करेगा जो सदस्यों के रोल में प्रविष्टि कराएगा।

4. सदस्यों के कार्यकाल, पद त्याग तथा हटाये जाने का निबन्धन—(1) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक सदस्य [3][परिषद् के गठन की तारीख से तीन वर्ष] के लिए पद धारण करेगा और वह पुनः नियुक्ति के लिए भी योग्य होगा।

[4][परन्तु यदि किसी सदस्य को परिषद् के गठन की तारीख के पश्चात् नियुक्त किया जाता है, तो वह केवल उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए परिषद् का गठन किया गया है।]

(2) सदस्य केन्द्र सरकार को सम्बोधित करते हुए अपने हस्तलेख में लिखने के द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा और ऐसा पद त्याग उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है अथवा पद त्याग की तिथि से तीन दिन की समाप्ति पर, जो भी पहले हो।

---

* इन नियमों में, केन्द्रीय वक्फ परिषद् (संशोधन) नियम, 2014 की धारा 2 द्वारा शब्द "वक्फ" के स्थान पर "वक़्फ" को प्रतिस्थापित किया गया (25.9.2014 से प्रभावी)।

1. देखें सा० का० नि० 593, दिनांक 30 सितम्बर, 1998, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3(i) में दिनांक 30 सितम्बर, 1998 को प्रकाशित।
2. सा.का.नि. 240(अ), दिनांक 22 मार्च, 2012 द्वारा (22.3.2012 से) अन्तःस्थापित।
3. सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा (25.9.2014 से) प्रतिस्थापित।
4. सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा (25.9.2014 से) अन्तःस्थापित।

(3) केन्द्रीय सरकार परिषद् से सदस्य को हटा सकेगी यदि वह—

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार की राय में मस्तिष्क अथवा शारीरिक शैथिल्यता के कारण पद पर निरन्तर बने रहने में अयोग्य हो गया है;

(ग) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि तथा कारावास से दण्डित किया गया है जिसमें कि केन्द्र सरकार की राय नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

(घ) छुट्टी लिये बिना परिषद् के अध्यक्ष के पद से अनुपस्थित रहा है अथवा परिषद् की लगातार तीन मीटिंगों से अनुपस्थित रहा हो;

(ङ) केन्द्रीय सरकार की राय में सदस्य की स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि अधिनियम के प्रयोजन के लिए कार्यालय में लगातार बने रहना अहितकर हो गया है।

[1][(4) कोई सदस्य, यदि वह उस पद पर नहीं रह जाता है, जिसके आधार पर वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट किन्हीं उपखंडों के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, तो वह सदस्य नहीं रहेगा।]

5. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना—मृत्यु, पदत्याग, हटाये जाने अथवा अन्य कारण से सदस्य के पद के रिक्त होने की दशा में, केन्द्रीय सरकार किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्त कर सकेगी और रिक्ति भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति उस अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य धारण करता जिसके स्थान पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया है।

6. परिषद् की समितियाँ—(1) परिषद् इसके सदस्यों में से ऐसी समितियों की नियुक्ति कर सकेगी जो कि वह उचित समझती है किन्तु वह चार से अधिक समितियाँ नियुक्त नहीं कर सकेगी और परिषद् ऐसे कार्य कर्त्तव्य और शक्तियाँ नियत कर सकेगी जिसे कि वह प्रयोजन के लिए आवश्यक समझती है।

(2) समिति के सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो कि परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी।

(3) समिति के सदस्य सदस्य नहीं रहेंगे यदि वे परिषद् के सदस्य नहीं रहते हैं।

(4) परिषद् की समिति की बार-बार बैठक कार्य की आवश्यकता पर निर्भर करती है।

(5) समिति की संस्तुति अथवा विनिश्चय के लिए परिषद् के समक्ष रखे जाते हैं या उसके अनुमोदन।

परन्तु यह कि जब परिषद् की बैठक न हो रही हो तो संस्तुति अथवा विनिश्चय परिषद् के सचिव द्वारा अध्यक्ष के समक्ष रखा जायेगा और अध्यक्ष संस्तुति अथवा विनिश्चय के सम्बन्ध में व्यक्त विचार के बारे में शीघ्रातिशीघ्र जब भी परिषद् की बैठक हो परिषद् को सूचित करेगा।

परन्तु यह और कि यदि समिति नियन्त्रण से परे कारणों के कारण बैठक करने के अयोग्य हो तो परिषद् का सचिव ऐसी समिति की परिधि में आने वाले मामलों को निर्देश के लिए प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

---

1. सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा (25.9.2014 से) अन्तःस्थापित।

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष द्वारा लिए गये सभी विनिश्चय समिति की संस्तुति अथवा अन्यथा तुरन्त परिषद् के लिए अनुसमर्थित किये जा सकेंगे।

7. परिषद् का सचिव—[1][(1) परिषद् का एक सचिव होगा, जो मुस्लिम होगा।

(1-क) अध्यक्ष, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, सचिव के पद पर नियुक्ति करेगा, जो केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' पद के समतुल्य पद का होगा।]

(2) सचिव परिषद् का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा और परिषद् के कार्यालय तथा उसके [2][कर्मचारियों] पर नियन्त्रण, अधीक्षण और प्रबन्धन की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(3) सचिव समय-समय पर परिषद् अथवा अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेगा तथा विनिश्चयों को प्रभावी बनायेगा।

परन्तु यह कि जब परिषद् पुनर्निमाण की प्रक्रिया अथवा नियन्त्रण से परे कारणों के कारण बैठक करने में असमर्थ हो तो सचिव आवश्यक मामले पर अध्यक्ष के आदेशों अथवा अनुमोदन को मँगा सकेगा।

परन्तु यह और कि अध्यक्ष के ऐसे सभी आदेश अथवा अनुमोदन विनिश्चय के लिए परिषद् की बैठक में शीघ्रातिशीघ्र रखे जायेंगे।

(4) सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि परिषद् के सभी अभिलेख समुचित रूप से और सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गये हैं।

(5) सचिव परिषद् के खातों के वार्षिक विवरण को सम्यक् रूप से प्रमाणीकरण के लिए इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सम्परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए दायी होगा।

[3][(6) सचिव, लेखा परीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित लेखाओं के वार्षिक विवरण अपने संप्रेक्षणों और उस पर परिषद् के उत्तरों सहित परिषद् के अनुमोदन और अंगीकरण के लिए परिषद् के समक्ष रखवाएगा।]

8. परिषद् के अधिवेशन—(1) प्रतिवर्ष परिषद् के [4][चार] अधिवेशन होंगे जो कि यदि आवश्यक हो [5][छह] तक बढ़ाए जा सकेंगे।

(2) परिषद् के असाधारण अधिवेशन सचिव द्वारा बुलाये जा सकेंगे यदि अध्यक्ष इस बात के लिए इच्छुक हो अथवा उसके निमित्त परिषद् के एक तिहाई सदस्यों द्वारा माँग अध्यक्ष के पास प्रस्तुत की जाती है और ऐसी माँग अधिवेशन में विचार के लिए मामले को वर्णित करेगी।

(3) अधिवेशन की तिथि और स्थान ऐसा होगा जो कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जा सकेगा।

(4) परिषद् के साधारण अधिवेशन लिखित रूप में [6][पंद्रह दिन] से कम की सूचना पर बुलाये नहीं जा सकेंगे और असाधारण अधिवेशन एक सप्ताह की लिखित नोटिस के बिना बुलाए नहीं जा सकेंगे।

---

1. सा.का.नि. 240(अ), दिनांक 22 मार्च, 2012 द्वारा (22.3.2012 से) प्रतिस्थापित।
2. सा.का.नि. 240(अ), दिनांक 22 मार्च, 2012 द्वारा (22.3.2012 से) प्रतिस्थापित।
3. सा.का.नि. 693 (अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा (25.9.2014 से) अन्तःस्थापित।
4. सा.का.नि. 693 (अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा (25.9.2014 से) "दो" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. सा.का.नि. 693 (अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा (25.9.2014 से) "पाँच" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. सा.का.नि. 693 (अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा (25.9.2014 से) "एक माह" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परन्तु यह कि असाधारण अधिवेशन कम समय की सूचना पर भी बुलाए जा सकेंगे यदि कारबार के अनुक्रम में ऐसा करना अति आवश्यक है।

9. अधिवेशन की प्रक्रिया—(1) परिषद् के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यसूची अध्यक्ष के अनुमोदन के सहित सचिव द्वारा तैयार की जाएगी और [1][साधारण अधिवेशन के लिए कम से कम दस दिन पहले और असाधारण अधिवेशन के लिए कम से कम दो दिन पहले से] सदस्यों को परिचालित की जाएगी।

(2) कारबार के सम्व्यवहार के लिए परिषद् के अधिवेशन के लिए आवश्यक कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगा।

(3) जहाँ कि कोरम के अभाव के कारण अधिवेशन स्थगित कर दिया गया था वहाँ कारबार जो कि मूल अधिवेशन के समक्ष लाया गया था यदि वहाँ पर कोरम पूरा हो तो उसके समक्ष लाया जायेगा और स्थगित अधिवेशन में सम्पादित किया जायेगा चाहे [2][कोरम विद्यमान हो] अथवा नहीं।

[3][(4) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में परिषद् का कोई उपस्थित सदस्य, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाता है, परिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।]

(5) परिषद् के अधिवेशन के समक्ष लाया गया प्रत्येक मामला उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किया जायेगा।

(6) अध्यक्ष अथवा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला [4][सदस्य] अपने निर्णायक मत का प्रयोग वोटों के समान होने की दशा में कर सकेगा।

(7) सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से उन मामलों को भी उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे जो कि कार्यसूची में सम्मिलित नहीं हैं।

[5][(8) अधिवेशन का कार्यवृत्त सचिव द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात, दस दिन की अवधि के भीतर सदस्यों को परिचालित किया जाएगा।]

(9) परिषद् के अगले अधिवेशन में, पूर्व अधिवेशन में अनुमोदित कार्यवृत्त पढ़ा तथा पुष्टीकृत किया जायेगा।

10. परिषद् के अधिवेशन में आमन्त्रिती—परिषद् का अध्यक्ष किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को परिषद् के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित कर सकेगा किन्तु ऐसा व्यक्ति वोट देने का अधिकार नहीं रखेगा।

11. यात्रा तथा दैनिक भत्ता—(1) प्रत्येक सदस्य, सरकारी अधिकारी न होते हुए भी परिषद् के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए अथवा परिषद् के किसी कार्य के सम्बन्ध में स्वविवेकानुसार हवाई जहाज अथवा रेल में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी जिसमें उपलब्ध हो, के वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करने का हकदार होगा।

---

1. सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा (25.9.2014 से) प्रतिस्थापित।
2. सा.का.नि. 240(अ), दिनांक 22 मार्च, 2012 द्वारा (22.3.2012 से) प्रतिस्थापित।
3. सा.का.नि. 240(अ), दिनांक 22 मार्च, 2012 द्वारा (22.3.2012 से) प्रतिस्थापित।
4. सा.का.नि. 240(अ), दिनांक 22 मार्च, 2012 द्वारा (22.3.2012 से) प्रतिस्थापित।
5. सा.का.नि. 240(अ), दिनांक 22 मार्च, 2012 द्वारा (22.3.2012 से) प्रतिस्थापित।

(2) ऐसा प्रत्येक सदस्य निम्न यात्रा तथा दैनिक भत्तों का हकदार होगा :—

यात्रा भत्ता :

(क) हवाई जहाज द्वारा

(i) [1][एक ही स्तर का वायुयान किराया (इकोनोमी क्लास)]

(ii) [2][* * *]

(ख) रेल द्वारा

(i) प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेल भाड़ा, यथास्थिति;

(ii) [3][* * *]

नोट—I. हवाई जहाज से यात्रा की स्थिति में (सेवा की अनुपलब्धता अथवा सम्बन्धित सेवा के निरस्त किये जाने की स्थिति में) अपने खर्च, पर उस हवाई जहाज के स्टेशन जहाँ पर सेवा उपलब्ध नहीं हो सकी रुकने तथा यात्रा करने वाला व्यक्ति सामान के लादने तथा उतारने की सुविधा के खर्चों रात रुकने के लिए प्रतिदिन भत्ते के आधे भत्ते [4][* * *] का हकदार होगा।

II. जब जहाज द्वारा यात्रा की जा रही हो तो वापसी का टिकट उस दशा में खरीदेगा जहाँ कि उसे यह अपेक्षा हो कि उस अवधि जिसके लिए टिकट खरीदा गया है से पूर्व ही वापसी की जा सकेगी।

[5][III. निवास से विमानपत्तन तक या रेलवे स्टेशन तक और इन स्थानों से उस स्थान तक जहाँ परिषद् का अधिवेशन हो रहा हो, सड़क द्वारा यात्रा की बाबत केन्द्रीय वक़्फ परिषद् के सदस्यों द्वारा यात्रा भत्ते के दावे ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार को अनुज्ञेय हैं।]

दैनिक भत्ता :

[6][(क) अधिवेशन के प्रत्येक दिन के लिए केन्द्रीय वक़्फ परिषद् के सदस्यों द्वारा किए गए महंगाई भत्ते के दावे ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार को अनुज्ञेय हैं।]

(ख) अधिवेशन के लिए दैनिक भत्ते के सहित अधिवेशन के पूर्व के दिन तथा बाद के दिन के पूरे दिन के दैनिक भत्ते का हकदार होगा यदि—

(i) वह अधिवेशन के दिन के पूर्व के दिन के दोपहर के पहले अथवा किसी पूर्ववर्ती दिन पर पहुँचता है।

(ii) वह अधिवेशन के दिन के बाद वाले दिन दोपहर के बाद प्रस्थान करता है।

परन्तु यह कि वह अधिवेशन के पूर्ववर्ती दिन और बाद वाले दिन के आधे दिन के भत्ते के लिए हकदार होगा यदि—

(i) वह अधिवेशन के दिन के पूर्ववर्ती दिन दोपहर को पहुँचता है; या

---

1. सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा (25.9.2014 से) "(i) एक ही स्तर का वायुयान किराया" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा (25.9.2014 से) उपखण्ड (ii) लोपित। लोपित होने से पूर्व उपखर्ण्ड (ii) निम्न प्रकार पढ़े :—
   "(ii) अधिकतम पचास रुपये के अध्यधीन रहते हुए आकस्मिक खर्चे;"
3. सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा (25.9.2014 से) उपखण्ड (ii) लोपित। लोपित होने से पूर्व उपखण्ड (ii) निम्न प्रकार पढ़े :—
   "(ii) अधिकतम पचास रुपये के अध्यधीन रहते हुए आकस्मिक खर्चे;"
4. सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा (25.9.2015 से) कतिपय शब्द लोपित।
5. सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 2 जुलाई, 2015 द्वारा (3.7.2015 से) प्रतिस्थापित।
6. सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 2 जुलाई, 2015 द्वारा (3.7.2015 से) प्रतिस्थापित।

(ii) वह अधिवेशन के दिन के बाद दोपहर से पहले रवाना होता है।

(3) जब कोई व्यक्ति परिषद् अथवा इसकी समिति के अधिवेशन में आमंत्रिती के रूप में सम्मिलित होता है तो उसे परिषद् के सदस्यों के स्वीकृत दर से यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाता है।

(4) अपने वाहन द्वारा सदस्य की, संक्षिप्त मार्ग द्वारा, यात्रा के लिए दावा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेल भाड़ा को प्रतिबन्धित करेगा।

(5) उपनियम (1), (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि परिषद् का कोई सदस्य संसद अथवा विधान मंडल का सदस्य है तो वह संसद (अनहर्ताओं का निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में परिभाषित भत्तों से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा, अथवा यदि राज्य विधान मण्डल का कोई सदस्य है राज्य विधान मण्डल की सदस्यता से अनहर्ताओं के निवारण से सम्बन्धित राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसी अनहर्ता के बिना कोई भत्ता प्राप्त करता है तो, यथास्थिति, वह किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।

12. सदस्य जो कि सरकार के अधिकारी हैं को यात्रा तथा दैनिक भत्ते—(1) प्रत्येक सदस्य जो कि सरकारी अधिकारी हैं उसे कार्यालय के कर्त्तव्य के पालन के लिए यात्रा करने के लिए उसे लागू होने वाले नियमों के अधीन स्वीकृत यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(2) जहाँ कि किसी सदस्य को सरकारी अधिकारी के रूप में किसी यात्रा भत्ते अथवा दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाता है वहाँ परिषद् ऐसे अधिकारी को नियोजित करने वाले प्राधिकारी को ऐसी रकम की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगी।

[1][**13. परिषद् के सचिव और कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें**—(1) परिषद् समय-समय पर, ऐसे पदों के सृजन के संबंध में अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगी, जो परिषद् के कृत्यों के दक्ष निष्पादन के लिए आवश्यक हों।

(2) अध्यक्ष, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, परिषद् के पदों पर नियुक्तियाँ करेगा, जो केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' और समूह 'ख' पदों के समतुल्य पद होंगे।"

(3) सचिव, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, परिषद् के पदों पर नियुक्तियाँ करेगा, जो केन्द्रीय सरकार के समूह 'ग; पदों के समतुल्य पद होंगे।

(4) परिषद् के कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी होगा, जो, समय-समय पर यथासंशोधित, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अनुसार सभी प्रकार के दण्ड, जिसके अंतर्गत पदच्युति भी है, अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा।

(5) परिषद् के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों की दशा में, जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी अध्यक्ष है, वहाँ परिषद् अपील प्राधिकारी होगी और जहाँ सचिव अनुशासनिक प्राधिकारी है, वहाँ अध्यक्ष अपील प्राधिकारी होगा।

---

1. सा.का.नि. 240(अ), दिनांक 22 मार्च, 2012 द्वारा (22.3.2012 से) प्रतिस्थापित।

(6) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, परिषद् के विभिन्न पदों के वेतनमान और सेवा के निबंधन और शर्तें वहीं होंगी जो केन्द्रीय सरकार के अधीन तत्समान वेतनमान वाले पद धारण करने वाले समतुल्य रैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होती हैं।]

14. निधि का नियन्त्रण—(1) सचिव निधि के सभी भुगतानों को प्राप्त करेगा और परिषद् के निमित्त रसीदें पास करेगा।

(2) परिषद् द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ उसके नाम परिषद् के अनुमोदन द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में वित्त मन्त्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और मार्गदर्शनों के अनुसार जमा की जायेगी।

परन्तु यह कि परिषद् के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए परिषद् का एक खाता परिषद् के कार्यालय के निकट के राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खोला जायेगा।

15. अध्यक्ष और सचिव द्वारा खर्च के लिए मंजूरी की शक्ति—[1][(1) इस सम्बन्ध में बजट में किए गए उपबंधों और उससे संबंधित भारत सरकार के अनुदेशों के अधीन रहते हुए—

(क) अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में प्रतिवर्ष किसी मद पर [2][1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये)] तक आवर्ती व्यय और [3][5,00,000 (केवल पाँच लाख रुपये)] तक अनावर्ती व्यय मंजूर कर सकेगा।

(ख) सचिव, प्रत्येक मामले में प्रतिवर्ष किसी मद पर [4][50,000/- रुपये (केवल पचास हजार रुपये)] तक आवर्ती व्यय और [5][1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये)] तक अनावर्ती व्यय मंजूर कर सकेगा।]

[6][**टिप्पण**—खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक किसी व्यय को केन्द्रीय वक़्फ़ परिषद् द्वारा मंजूर किया जाएगा ओर अति आवश्यकता की दशा में अध्यक्ष उसकी मंजूरी दे सकेगा जिसे वस्तुतः पश्चात्वर्ती अनुसमर्थन के लिए परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।]

(2) सचिव अथवा उसकी अनुपस्थिति में उसके निमित्त प्राधिकृत कोई अधीनस्थ अधिकारी खर्चों की मंजूरी के लिए चेक काट सकेगा।

(3) सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृति अधिकारी परिषद् के कार्यालय के रजिस्टरों के रखरखाव का पर्यवेक्षण कर सकेगा और उसमें की गयी प्रविष्टियों को प्रमाणित कर सकेगा।

---

1. सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा (25.9.2014 से) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपनियम (1) निम्न प्रकार पढ़े :—
"(1) इसके सम्बन्ध में बजट में किये गये उपबन्धों के अध्यधीन—
(क) अध्यक्ष प्रतिवर्ष 10,000 (दस हज़ार रुपये मात्र) आवर्ती व्यय तथा 50,000 (पचास हज़ार रुपये मात्र) अनावर्ती व्यय के लिए मंजूरी दे सकेगा।
(ख) सचिव प्रतिवर्ष 4,000 (चार हजार रुपये मात्र) आवर्ती व्यय और 8,000 (आठ हज़ार रुपये मात्र) अनावर्ती व्यय के लिए मंजूरी दे सकेगा।"
2. सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 2 जुलाई, 2015 द्वारा (2.7.2015 से) "50,000 (केवल पचास हजार रुपये)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 2 जुलाई, 2015 द्वारा (3.7.2015 से) "2,00,000 (केवल दो लाख रुपये)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 2 जुलाई, 2015 द्वारा (3.7.2015 से) "20,000 (केवल बीस हजार रुपये)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 2 जुलाई, 2015 द्वारा (3.7.2015 से) "40,000 (केवल चालीस हजार रुपये)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 2 जुलाई, 2015 द्वारा (3.7.2015 से) अन्तःस्थापित।

16. लेखों का वार्षिक विवरण—परिषद् लेखों और अन्य अभिलेखों को व्यवस्थित रखेगी और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसे मार्च महीने के अंतिम कार्य दिवस पर अपने लेख पुस्तिका में दर्शित करेगी और लेखों का वार्षिक विवरण इसके नियमों में संलग्न प्ररूप में वर्णित किया जायेगा।

17. कर्मचारियों और आकस्मिक खर्च के सम्बन्ध में सचिव की शक्तियाँ—(1) परिषद् का सचिव परिषद् के सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपने नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन निम्न मंजूरी की शक्ति रखता है,—

(i) वेतन वृद्धि;

(ii) छुट्‌टी;

(iii) केन्द्रीय कर्मचारियों को स्वीकार्य भत्ते और अग्रिम।

[1][(2) सचिव को, अधिवेशनों के दौरान परिषद् या उसकी समितियों के सदस्यों और आमंत्रित व्यक्तियों के लिए जलपान जैसे चाय-नाश्ता, मध्याह्न भोजन, रात्रि भोजन इत्यादि का इंतजाम करने के लिए 10,000/- रुपए (केवल दस हजार रुपए) तक व्यय मंजूर करने की शक्ति होगी।]

[2][* * *]

परिशिष्ट

प्ररूप

(देखें नियम 16)

केन्द्रीय वक़्फ परिषद्

नई दिल्ली

31 मार्च .... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्तियाँ और भुगतान

प्राप्तियाँ	*रकम (रुपये)*	*भुगतान*	*रकम (रुपये)*
1	2	3	4
भाग I वक़्फ लेखा :		**व्यवस्थापन खर्च :**	
आरम्भिक अतिशेष			
हाथ में नकद		वेतन और भत्ते	
बैंक में नकद		यात्रा भत्ता	
बैंक में नकद (सामान्य विनिधान लेखा)		छुट्‌टी यात्रा में छूट	
भारत सरकार से सहायता का दिया जाना		अतिकाल भत्ता	
भारत सरकार से उधार		मानदेय	
अन्य श्रोतों से उधार तथा अग्रिम			

1. सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा (25.9.2014 से) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपनियम (2) निम्न प्रकार पढ़े :—

"(2) सचिव निम्न खर्चों की मंजूरी की शक्ति रखता है—

(i) फर्नीचर, टाइपराइटर, साइकिल, घड़ियाँ, वाटर-कूलर, इलेक्ट्रिक हीटर जो कि परिषद् के कार्यालय के स्टाक रजिस्टर में है की मरम्मत के लिए 2,000/- (दो हज़ार रुपये) और यदि उपरोक्त वस्तुओं में से किसी की सर्विसिंग आवश्यक हो तो 500 (पाँच सौ रुपये) तक खर्च करने;

(ii) परिषद् अथवा इसकी समिति के सदस्यों अथवा आमन्त्रितियों के भोजन, नाश्ता और मनोरंजन की व्यवस्था के लिए 2,000 (दो हजार रुपये मात्र) तक खर्च करने।"

2. सा.का.नि. 240(अ), दिनांक 22 मार्च, 2012 द्वारा (22.3.2012 से) नियम 18 और नियम 19 लोपित।

1	2	3	4
दान		बोनस	
पूर्तदान		अंशदायी भविष्य निधि (नियोजक अभिदाय और उस पर ब्याज)	
राज्य वक़्फ बोर्ड से (1%) अंशदान		**सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता :**	
		(क) केन्द्रीय वक़्फ परिषद्	
		(ख) योजना और सलाहकारी समिति	
		(ग) वक़्फ विकास समिति	
		(घ) मॉनीटरिंग कमेटी	
		(ङ) शिक्षा और महिला कल्याण समिति	
निवेश पर लाभांश (बचत बैंक खाता पर ब्याज सहित)			
		किराया, दर तथा कर :	
		कार्यालय का किराया	
निश्चित जमा रसीदों का भुगतान		सचिव के निवास का किराया	
अग्रिम की वसूली :		**अन्य आकस्मिकतायें तथा कार्यालय के खर्च :**	
त्योहार के लिए अग्रिम			
मकान के लिए अग्रिम भुगतान			
मोटर कार/स्कूटर के लिए अग्रिम		मुद्रण तथा लेखन सामग्री	
साइकिल के लिए अग्रिम		डाक और तार	
		टेलीफोन	
छुट्टी यात्रा रियायत/यात्रा भत्ता अग्रिम			
अस्थायी अग्रिम (विनिर्दिष्ट)		पुस्तकें तथा नियतकालिक पत्रिका	
अन्य प्राप्तियाँ :		सवारी व्यय	
		पोशाकें	
केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना अंशदान		बैंक चार्ज	
		व्यवस्थापन तथा मरम्मत	
		मनोरंजन/स्वास्थ्य	
किराये की वसूली		विधिक खर्चे	
विविध प्राप्तियाँ		संपरीक्षा शुल्क	
अप्रचलित आस्तियों के विक्रय आगम		विज्ञापन	

1	2	3	4
अन्य वसूलियाँ :		अन्य फुटकर खर्चे	
अंशदायी भविष्य निधि की वसूली		**अनावर्ती व्ययः**	
चन्दा			
अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम की वसूली			
आयकर			
केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि		फर्नीचर और फिक्सचर कार्यालय की मशीन एवं उपस्कर (टाइपराइटर, डुप्लीकेटर, कम्प्यूटर, आदि शामिल है)	
		भूमि और भवन	
		वाहन	
समूह बीमा योजना		**कर्ज तथा अग्रिम :**	
प्रतिभूति जमा		मकान के लिए अग्रिम	
		त्योहार के लिए अग्रिम	
		स्कूटर एडवान्स	
		साइकिल एडवान्स	
		यात्रा भत्ता/अवकाश यात्रा रियायत	
		स्टाफ के लिए अग्रिम	
		सचिव तथा कर्मचारी के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	
		अस्थायी अग्रिम	
		निवेश :	
		राज्य वक़्फ़ बोर्ड को कर्ज	
		पुनः भुगतान कर्जों की रकम	
		रिवोल्विंग फंड का हस्तान्तरण	
		दान	
		अन्य भुगतान :	
		अंशदायी भविष्य निधि चँदा	
		अंशदायी भविष्य निधि	
		कर्जों की वापसी	
		आयकर	
		सामान्य भविष्य निधि की वसूलियाँ	
		प्रतिभूति जमा	
		अन्य अतिशेष :	
		हाथ में नकद	
		बैंक में नकद	
		बैंक में नकद (सामान्य निवेश खाता)	

1	2	3	4
योग—(भाग I)			
भाग II—परिक्रामी निधिः		विकास तथा अन्य योजनाओं के लिए राज्य वक़्फ बोर्ड को कर्ज	
आरम्भिक अतिशेष :			
हाथ में नकद		निश्चित जमा में निवेश	
बैंक में नकद		अन्य भुगतान	
कर्जों का भुगतान परिक्रामी			
निधियों का हस्तान्तरण		अन्त अतिशेष :	
सावधि जमा रसीदों का भुगतान		हाथ में नकद	
अन्य प्रप्तियाँ		बैंक में नकद	
योग—(भाग II)			
भाग III शैक्षिक निधि :			
आरम्भिक अतिशेष :			
हाथ में नकद		तकनीकी शिक्षा की लिए छात्रवृत्ति	
बैंक में नकद			
कर्जदार वक्फों से 6% का अनुदान		छात्रों को तदर्थ सहायता	
		व्यवसायिक संस्थाओं को 50% समरूप अनुदान	
शैक्षिक योजनाओं के लिए अन्य अनुदान		पढ़ने के लिए कक्ष/लाइब्रेरी योजना हेतु अनुदान	
निवेशों पर लाभांश (सावधि जमा रसीदों पर ब्याज)		अन्य शैक्षिक योजनाओं पर खर्चे	
सावधि जमा रसीदों का नकद भुगतान		सावधि जमा में निवेश	
छात्रों द्वारा वापसी			
राज्य वक़्फ बोर्ड द्वारा छात्रवृत्ति की वापसी		अन्य भुगतान	
		अन्त अतिशेष :	
कैरियर गाइडेन्स स्कीम/पढ़ने के लिए कमरें/पुस्तकालय की योजना के अधीन अनुदानों का प्रतिदाय		हाथ में नकद	
		बैंक में नकद	
छात्रों से तदर्थ अनुदानों की वसूली			
प्रकीर्ण रसीदें			
योग—(भाग III)			
योग—भाग I			
योग भाग II			
योग भाग III			
कुल योग			

केन्द्रीय वक़्फ परिषद्
नई दिल्ली

31 मार्च................. को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्तियाँ तथा भुगतान
अंशदायी भविष्य निधि

प्राप्तियाँ	*रकम (रुपये)*	*भुगतान*	*रकम (रुपये)*
1	2	3	4
आरम्भिक अतिशेष			
हाथ में नकद			
बैंक में नकद			
अंशदायी भविष्य निधि को कर्मचारी अभिदान		कर्मचारी को अग्रिम	
अग्रिम की वापसी		अंतिम निकासी	
नियोजक के अंशदान और उस पर ब्याज		अंतिम भुगतान	
		निवेश	
निवेश पर प्राप्त ब्याज		अतिरिक्त ब्याज परिषद् के खातों को हस्तान्तरण	
परिषद् के भविष्य निधि खातों के ब्याज में कमी		**अन्त अतिशेष :**	
परिपक्व निक्षेप		हाथ में नकद	
		बैंक में नकद	
योग			

केन्द्रीय वक़्फ परिषद्
नई दिल्ली

31 मार्च................. को समाप्त होने वाले वर्ष के आय तथा व्यय खाते

व्यय	*रकम (रुपये)*	*आय*	*रकम (रुपये)*
1	2	3	4
प्रमाणीकरण :			
वेतन तथा भत्ते		राज्य वक़्फ बोर्ड से 1% अंशदान	
यात्रा भत्ता		सरकारी अनुदान/कर्ज	
अवकाश यात्रा रियायत			
अतिकाल भत्ता			
बोनस		दान	
अंशदायी भविष्य निधि—		सज्जीकरण	
नियोजक अंशदान और उस पर ब्याज			
कर्मचारियों को मानदेय			

1	2	3	4
परिषद् के सदस्यों, आदि को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते			
केन्द्रीय वक़्फ परिषद् योजना तथा सलाहकारी समिति			
वक़्फ विकास समिति			
शिक्षा तथा महिला कल्याण समिति		निवेशों पर लाभांश	
अनुश्रवण समिति		भाग I	
कार्यालय की		भाग II	
आकस्मिकतायें :			
मुद्रण तथा लेखन सामग्री		भाग III	
भाटक, दर और कर		केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना अंशदान की वसूली	
टेलीफोन			
डाक और तार			
पोशाकें		भाटक की वसूली	
मजदूरी			
सवारी शुल्क		प्रकीर्ण आय कमः अनावर्ती व्यय (पूंजीगत प्रकार)	
व्यवस्थापन तथा मरम्मत		फर्नीचर एवं फिक्सचर	
(क) भवन		कार्यालय की मशीन तथा उपस्कर (जिसमें टाइपराइटर, डुप्लीकेटर तथा कम्प्यूटर शामिल हैं)	
(ख) कार्यालय उपस्कर			
दैनिक तथा नियतकालिक पत्रिका			
बैंक चार्ज			
मनोरंजन के खर्चे			
विधिक चार्ज			
संपरीक्षा फीस		लाइब्रेरी की पुस्तकें	
विज्ञापन		वाहन	
अन्य खर्चे		आय से अधिक खर्चे	
भाग I			
भाग II			
भाग III			
अधिशेष वक़्फ निधि को अन्तरित			
खर्च पर अत्यधिक आय			
योग			

केन्द्रीय वक़्फ परिषद्
नई दिल्ली

31 मार्च................. पर तुलन पत्र

दायित्व	*रकम (रुपये)*	*आस्तियाँ*	*रकम (रुपये)*
1	2	3	4
भाग I—वक़्फ फण्ड		**निश्चित आस्तियाँ :**	
पूँजी निधि-अंतिम तुलन पत्र के अनुसार (आस्तियों के समान)			
वर्ष के दौरान अतिरिक्त		भूमि और भवन—अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	
वर्ष के दौरान अपलेखन		वर्ष के दौरान संयोजन	
आरक्षित तथा अतिरिक्त:		फर्नीचर एवं फिक्सचर—अंतिम तुलन पत्र के अनुकार	
खर्च से अधिक आय खर्च			
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार		एक वर्ष के दौरान संयोजन	
वर्ष के दौरान संयोजन		मशीनरी तथा उपस्कर-अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	
वर्ष के दौरान घाटा लेस		वर्ष के दौरान संयोजन	
		कम: अपलेखन	
		वाहन : अंतिम तुलन पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान संयोजन	
		कम: अपलेखन	
		राज्य वक़्फ बोर्ड को कर्ज तथा अग्रिम:	
विकास कर्ज के लिए अनुदान का उपयोग			
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार		अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	
वर्ष के दौरान भुगतान		वर्ष के दौरान भुगतान	
		वर्ष के दौरान वसूली	
वर्ष के दौरान कम वसूली		निवेश वक़्फ फण्ड खाता:	
प्रतिभूति/अग्रिम धनराशि जमा			
चालू दायित्व :			
अंशदायी भविष्य निधि		तुलन पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जमा	
		वर्ष के दौरान नकद भुगतान	
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार अतिशेष			
वर्ष के दौरान चन्दा जोड़ें		कर्ज तथा अग्रिम	
नियोजक का अंशदान जोड़ें		यात्रा भत्ता/अवकाश यात्रा रियायत	
लाभांश (ब्याज) जोड़े वर्ष के दौरान देना			
		अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	
		संयोजन	
		समायोजन	
		मकान भवन अग्रिम	
		मोटर कार/स्कूटर अग्रिम	

1	2	3	4
		साइकिल एडवान्स	
		त्योहार अग्रिम	
		बाढ़ अग्रिम	
		अन्य अग्रिम	
		प्रतिभूति भुगतान	
		अन्यान्य ऋणी :	
		आपूर्तिकर्त्ताओं को अग्रिम	
		केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि को अग्रिम	
		अंशदायी भविष्य निधि निवेश	
		कर्मचारियों को अग्रिम	
		अंतिम अतिशेष :	
		बैंक/हाथ का नकद (सामान्य निवेश खाता)	
		बैंक में नकद	
		हाथ का नकद	
योग			
भाग II—आवर्ती निधि			
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार अतिशेष		अंतिम तुलन पत्र के अनुसार निवेश	
वर्ष के दौरान संयोजन		वर्ष के दौरान संयोजन	
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कर्ज कम		नकद भुगतान कम	
निवेश पर लाभांश जोड़े		वक़्फ बोर्ड, आदि को कर्ज और अग्रिम	
		अंतिम अतिशेष :	
		हाथ में नकद	
		बैंक में नकद	
भाग III—शैक्षिक निधि			
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार अतिशेष		**निवेश :**	
6% दान		अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	
		वर्ष के दौरान संयोजन	
अन्य दान			
निक्षेपों पर संयोजित लाभांश		वर्ष के दौरान नकद भुगतान कम	
		छात्रों को अग्रिम	
वर्ष के दौरान भुगतान कम		अन्यों को अग्रिम	
		अंतिम अतिशेष :	
		हाथ में नकद	
		बैंक में नकद	
योग			